राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक:– संस्था/चिअ/एटी/प02/15/745 दिनांक:– 15/12/2015

–:: संशोधित आदेश ::–

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक:–संस्था/चिअ/एटी/प02/15/744 दिनांक 14/12/2015 के आदेश को तुरन्त प्रभाव से विलोपित (Withraw) किया जाता है।

डॉ0 बीरबल खिलेरी चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतु बाडमेर को अग्रिम आदेशों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोरीमन्ना बाडमेर में कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
4. निजि सहायक, निदेशक(जन स्वास्थ्य) निदेशालय मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
6. प्रभारी अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्स अपनी उपस्थिति संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे।
8. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित चिकित्सक।
10. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर